



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1982]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 4, 2012/आश्विन 12, 1934

No. 1982]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 2012/ASVINA 12, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2012

का.आ. 2364(अ).—बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की, वर्ष 1974 में बांदीपुर में तत्कालीन वेनुगोपाल वन्यजीव उद्यान के अधिकतर वन क्षेत्रों को और उसके सेन्कटम सेन्कटॉरम् को सम्मिलित करके विरचना की गई थी। वर्ष 2001 में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35 की उप-धारा (4) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 870.36 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को विधि की सम्यक् प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्यांक एफ ई ई 211, एफ डब्ल्यू एल 98 तारीख 27-06-2001 द्वारा अधिसूचित किया था। यह 1973 के दौरान व्याघ्र परियोजना के अधीन लाए गए नौ संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। वर्तमान में, 912.04 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्र, जिसमें लगे हुए वन के ऐसे क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, जो संख्यांक एफ ई ई 136, एफ डब्ल्यू एल, 2008 तारीख 31-08-2010 द्वारा अधिसूचित मध्यवर्ती जोन के भाग हैं, बांदीपुर व्याघ्र रिजर्व के अधीन है और वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38फ के अनुसार आंतरिक/संकटमय व्याघ्र आवास के रूप में घोषित किया गया है ;

और बांदीपुर व्याघ्र रिजर्व, न केवल नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व के 5500 वर्ग कि.मी. का केन्द्रीय और संकटमय भाग है किंतु हाथी परियोजना के अधीन मैसूर हाथी रिजर्व का भी एक समग्र भाग है। यह, वयस्क हाथियों की महत्वपूर्ण उच्चतर संख्या सहित वन्य हाथी जनसंख्या की बहुत उच्च सघनता को संभालता है। यह क्षेत्र, नामनिर्दिष्ट हाथी कॉरीडोर अर्थात् कनियानपुरा हाथी कॉरीडोर का भाग बनता है जो सत्यमंगलम और मोयार रिजर्वों से संबद्ध है, यह, व्याघ्र के संरक्षण के लिए वैश्विक व्याघ्र पहल द्वारा मान्यताप्राप्त उच्च सघन व्याघ्र भू-दृश्यों में से एक है और सात बड़े खुरदार जीवजाति जैसे चीतल, सांभर, चौसिंगा, गौर, मुनजैक, वन्य सुअर और हाथी तथा पक्षियों की 250 से अधिक जीवजाति हैं, के संपूर्ण समुच्चय के लिए ज्ञात सबसे बड़े वन्य जीव क्षेत्रों में से भी एक है;

और, क्षेत्र में बहुत अधिक प्राणीजात और वनस्पतिजात विविधता है। नागाराहोल, मुदुमलाई और व्यानद संरक्षित क्षेत्रों के साथ बांदीपुर व्याघ्र रिजर्व, विश्व के तेरह व्याघ्र श्रेणी देशों में से वन्य व्याघ्र की सबसे अधिक प्रजनन जनसंख्या रखता है। व्याघ्र रिजर्व के वन विविध और प्रचुर हैं। मोयार के पूर्वी अंतिम भाग में झाड़ीदार वन हैं। जबकि व्याघ्र रिजर्व के केन्द्रीय भाग में अर्थात् कनियानपुर में वनस्पति है, बीरामबाड़ी का बांदीपुर भाग सूखा पर्णपाती है, रिजर्व के पश्चिमी भाग में अर्थात् एनूरमारीगुडी, बेगुर में वनस्पति और बीरामबाड़ी आर्द्र पर्णपाती है। अतः

वनस्पति, पूर्व से पश्चिम को झाड़ीदार प्रकार से आर्द्र पर्णपाती प्रकार में परिवर्तित होती है। ये वन, झाड़ीदार प्रकार के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं (समूह 5- उपसमूह 5ख-डीएसएफ-1-चैम्पियन और सेठ का सूखा पर्णपाती झाड़ीदार और संपुटिकावृत्त वर्गीकरण):

वनस्पति में, शारीवा टालुस, सेनटालम अल्बम (संदल), टेरमिनलिया चेबुला, एनोजीसस लातीफोलिया, आजाडाइराक्टा इंडिका, क्लोरोजाइलोन स्वीटेनिया, एकासिया, लेकोफिलोया, एकासिया, केटेचू, स्टीरियोस्पर्मम केलोनोइडेस, जिजाइफस एसपीएस., डायोस्पाइरोस मेलनोजाइलोन, डायोस्पाइरोस मोनटाना, आदि जातियां हैं।

लन्टाना झाड़ियां, प्रायः अविकसित रूप में और कुछ स्थानों पर फोनिक्स एक्यूलिस के रूप में बड़े क्षेत्र को आच्छादित करती हैं। केसिया टोरा, केसिया ऑरीकुलाटा, डेसमोडियम आदि भी अविकसित रूप हैं। बांस, सामान्यतः अनुपस्थित हैं। एकासिया इंटसिया सामान्य रूप से चढ़ने वाली है। घास, सामान्यतः भरपूर हैं किंतु अविकसित है। संदल अधिकतर इसी प्रकार में आता है।

यह संरक्षित क्षेत्र, काबिनी, मोयार और नूगू जैसी महत्वपूर्ण बारहमासी नदियों का आवाह-क्षेत्र है। क्षेत्र, मानव आवास से पूर्णतया मुक्त है जिसमें किसी मानव जनसंख्या के पुर्नवास की अपेक्षा नहीं है; काबिनी जलाशय, मछलियां और बहुत से पक्षियों तथा अन्य की जातियों के लिए एक अच्छा जलीय आवास उपलब्ध करता है। छोटे तालाब और नदियां, मछली, केकड़े, कछुए और मगरमच्छों आदि के लिए आवास प्रदान करते हैं।

पोरकूपाइन, मूंगोसे, र्केली एनटीटर, बेनडीकूट, चूहे और सांप (पाइथोन) वैसे ही उपस्थलीय निवासी हैं जैसे वे स्थलीय निवासी हों। कुछ जानवर, उपस्थलीय खाद्य, प्रोकूपाईन बूरोस का उपयोग करते हैं और केसिया फिस्टूला की जड़ें खाते हैं। जंगली सुअर, कोस्टस एसपीएस., डायोसकोरिया और विटीस क्लाइमबर की ट्यूबरस जड़ों को खाते हैं। हाथी, उखड़ी हुई घास पर पलते हैं और रसदार जड़ भागों का भोजन करते हैं। आलसी रीछ, जड़ें और भूमिगत सफेद चीटियों का भोजन करते हैं। यही व्यवहार अब तक देखा गया है। हाथी, विपत्ति की अवधि के दौरान काबिनी जलाशय के विशाल तटाग्र क्षेत्र में उथले जल में पाई जाने वाली जलगत अपतृण के साथ साथ उनके आगे के पैरों के नाखूनों के माध्यम से ठोकर द्वारा खुरची हुई घास का भोजन करते हैं।

और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से उसमें वन्य जीवन और उसके पर्यावरण को संरक्षित, प्रसारित या विकसित करने के लिए पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में सुरक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है ;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (XIV) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन प्रारूप अधिसूचना को, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यथापेक्षित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का0अ02154(अ), तारीख 21 सितंबर, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्तियों

से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित की गई थी ;

और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को 21 सितंबर, 2011 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और प्रारूप अधिसूचना की प्रतिक्रिया में प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिक संवेदनशील जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् बांदीपुर पारिस्थितिक संवेदनशील जोन कहा गया है) के रूप में कर्नाटक राज्य में निम्नानुसार दर्शित सीमाओं के भीतर परिवेष्टित बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क और व्याघ्र रिजर्व के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 7.78 किलोमीटर तक का क्षेत्र अधिसूचित करती है :-

1. पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की सीमाएं -

(i) कर्नाटक राज्य के मैसूर (ननजंगड और एच.डी.कोटे तालुकों) और चामराजानगर (गुंडलुपेट तालुक) जिलों में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और व्याघ्र रिजर्व, जो उत्तरी अक्षांस $11^{\circ} 35' 34''$ और $11^{\circ} 55' 02''$ के बीच तथा पूर्वी देशांतर $76^{\circ} 12' 17''$ और $76^{\circ} 51' 32''$ के मध्य में स्थित है। उक्त पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की सीमाएं उपाबंध-क पर दी गई हैं। उक्त पारिस्थितिक संवेदनशील जोन का नक्शा और वैश्विक स्थिति प्रणाली चिह्न उपाबंध-ख पर दिए गए हैं।

(ii) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन का भौगोलिक क्षेत्र 479.18 वर्ग किलोमीटर है जिसमें एक सौ तेइस गांव हैं जो उपाबंध-ग पर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अधिसूचित आरक्षित वन क्षेत्र और धारा 4 क्षेत्र के ब्यौरे उपाबंध-घ और उपाबंध-ड पर दिए गए हैं।

(iii) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की सीमा 0-7.78 किलोमीटर के बीच है और औसत दूरी 3.62 किलोमीटर है।

2. बांदीपुर पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान-

(i) बांदीपुर पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान को राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी रीति से राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा, जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), पंचायती राज अधिनियम, 1993, राज्य में तत्समय प्रवृत्त शहरी और देश की योजना से संबंधित विधि, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी प्रभागीय

कार्यकरण योजनाओं तथा दिशानिर्देशों के अधीन विनिर्दिष्ट की जाए और केंद्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

- (ii) जोनल मास्टर प्लान को, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं को उसमें सम्मिलित करने की दृष्टि से पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका, राजस्व के सभी संबद्ध राज्य विभागों और कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से तैयार किया जाएगा ।
- (iii) जोनल मास्टर प्लान, निरावृत क्षेत्रों के पुनःस्थापन, विद्यमान जलाशयों का संरक्षण, आवाह-क्षेत्रों का प्रबंध, जलसंभर प्रबंध, भूमिगत जल प्रबंध, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकता और पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, के लिए उपबंध करता है ।
- (iv) जोनल मास्टर प्लान, यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोई भी निर्बंधन, विद्यमान विधिक भूमि उपयोग पैटर्न के साथ विधिक अवसंरचना और क्रियाकलापों पर अधिरोपित नहीं किए गए हों और वे पूर्वानुसार जारी रहेंगे । तथापि, जोनल मास्टर प्लान, अधिक प्रभावी और पर्यावरण हितैषी होने के लिए सभी अवसंरचना/क्रियाकलापों के विकास में कारक भी होगा ।
- (v) जोनल मास्टर प्लान, सभी विद्यमान पूजा गृहों, गांव व्यस्थापनों, वनों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमियों, हरित क्षेत्रों के प्रकारों और किस्मों, जैसे उद्यानों और ऐसे ही स्थानों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, फलोद्यानों, झरनों और अन्य जलाशयों को चिन्हित करेगा ।
- (vi) हरित उपयोगों से, जैसे चाय बागानों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि, उद्यानों और इसी प्रकार के अन्य स्थानों का गैर हरित उपयोगों के लिए भूमि उपयोग में कोई परिवर्तन, जोनल मास्टर प्लान में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, विद्यमान स्थानीय जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के कारण स्थानीय निवासियों की आवास आवश्यकता की पूर्ति के लिए कृषि भूमियों के सीमित परिवर्तन को कठोरता से, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अनुज्ञात किया जा सकेगा ।
- (vii) साधारणतया वन जोन, हरित जोनों और कृषि क्षेत्र में कोई कमी नहीं की जाएगी ।
- (viii) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान की तैयारी और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा उसके अनुमोदन के लंबित रहते हुए सभी नए संनिर्माण और अन्य विकासात्मक क्रियाकलाप, अधिसूचना के पैरा 4 के उप पैरा (4) के अनुसार मानीटरी समिति द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्देशित किए जाएंगे ।
- (ix) मानीटरी समिति, सभी विभागों और साथ ही पणधारकों द्वारा जोनल मास्टर प्लान के उचित निष्पादन की

देखरेख करेगी। यह समिति जनता की शिकायतों को भी देखेगी और ऐसी शिकायतों का आपसी समाधान खोजेगी।

(x) जोनल मास्टर प्लान के उपबंधों का पर्याप्त प्रचार किया जाएगा।

3. पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में प्रतिषेध, विनियमित और अनुज्ञात क्रियाकलाप :-

बांदीपुर पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में सभी क्रियाकलाप, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे। इस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में सभी क्रियाकलाप, नीचे दिए गए सारणीबद्ध स्तंभ के अनुसार विनियमित किए जाएंगे,-

क्रम सं.	क्रियाकलाप	प्रतिषेध	विनियमित	अनुज्ञात	टिप्पणी
1.	वाणिज्यिक खनन	हां	-	-	
2.	वाणिज्यिक उत्खनन	हां	-	-	
3.	प्रस्तर उत्खनन और दलित्र	हां	-	-	
4.	उद्योगों की स्थापना	हां	-	-	
5.	वाणिज्यिक होटलों और रिजोर्टों की स्थापना	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में, प्रारूप अधिसूचना की तारीख को पहले से ही विद्यमान स्थापनों के सिवाय, प्रतिषेध। तथापि, विद्यमान वाणिज्यिक पर्यटन स्थापनों का विस्तार, पूर्ण रूप से पर्यावरण और वन मंत्रालय (वन्य जीव प्रभाग), नई दिल्ली द्वारा जारी "वन्य जीव आवासों में गैर वानिकी क्रियाकलापों को करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत", फाइल सं. 6-10/2011 डब्ल्यू एल तारीख 15-03-2011 के अनुसार विनियमित किया जाना है।
6.	आरा मशीनों की स्थापना	हां	-	-	
7.	कृषि और उद्यान-कृषि से भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन	हां	-	-	वाणिज्यिक प्रयोजनों जैसे रिजोर्टों, उद्योगों के स्थापन आदि के लिए पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में प्रतिषेध।
8.	कंपनियों/फर्मों/कारपोरेट हाऊस आदि द्वारा बृहत स्तर के हरित ग्रहों और	हां	-	-	-

	अन्य वाणिज्यिक कृषि/उद्यान-कृषि जोखिमों के स्थापनों का प्रतिषेध किया गया है ।				
9.	प्राकृतिक जल संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग जिसमें वाणिज्यिक खनिज जल संयंत्र, वातित पेय बोटलिंग संयंत्रों आदि के लिए भूमिगत जल उपज सम्मिलित है ।	हां	-	-	
10.	मुख्य जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना	हां	-	-	
11.	फार्मों, कारपोरेट हाउसों, कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक होटलों/रिसार्टों, निजी गृह स्थानों, निजी फार्मों और बृहत् स्तर की वाणिज्यिक कृषि और उद्यान-कृषि जोखिमों के लिए विद्युत बाड़ और परिसर	-	हां	-	
12.	आवासीय, कृषि और अन्य स्वअस्तित्व प्रयोजनों के लिए विद्युत केबलों का उत्थापन ।	-	-	हां	भूमिगत केबलिंग का संवर्धन
13.	स्थानीय समुदायों द्वारा चालू कृषि और उद्यान-कृषि प्रथाएं	-	-	हां	तथापि, इन क्रियाकलापों में से कुछ का अत्यधिक विस्तार, मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए ।
14.	वृष्टि जल उपज	-	-	हां	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाना चाहिए ।
15.	जैव कृषि	-	-	हां	प्रोत्साहित
16.	सड़कों को चौड़ा करना	-	हां	-	इसको उचित ईआईए और अल्पीकरण उपायों के साथ किया जाना चाहिए ।
17.	रात्रि में यानीय यातायात का चालन	-	हां	-	रात्रि 9 बजे और प्रातः 6 बजे के बीच बांदीपुर व्याघ्र रिजर्व से होकर गुजरने वाले दो राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बंधन जारी रहेंगे ।
18.	विदेशी वनस्पति जात का	हां	-	-	

	आरंभ				
19.	फार्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा वृहत् स्तर पर वाणिज्यिक पशुधन और मुर्गी फार्मों की स्थापना	हां	-	-	स्थानीय कृषकों द्वारा लघु स्तर पर पहले अनुज्ञात हैं ।
20.	पर्यटकों, वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों द्वारा पॉलीथिन बैगों का उपयोग	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में प्रतिषेध ।
21.	पुनःउत्पादित ऊर्जा स्रोतों का उपयोग	-	-	हां	प्रोत्साहित ।
22.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलापों का करना जैसे राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में किसी वायुयान, गर्म वायु बैलूनों, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर्स या पैरासैलिंग द्वारा ऊपर उड़ान भरना आदि	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में प्रतिषेध ।
23.	पहाड़ी ढालों और नदी के किनारों की संरक्षा	-	-	हां	प्रोत्साहित ।
24.	प्राकृतिक जलाशयों या स्थलीय क्षेत्र में चिकित्सीय अपशिष्टों सहित बहिःस्त्रावों और ठोस अपशिष्ट का निस्सारण	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में प्रतिषेध ।
25.	वन सीमाओं के भीतर साईन बोर्ड और होर्डिंग्स	हां	-	-	गांव की सीमाओं के भीतर अनुज्ञात ।
26.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकियों का अंगीकरण	-	-	हां	प्रोत्साहित
27.	11केवी तक उच्च कर्षण विद्युत पारेषण लाइनों का उत्थापन ।	-	-	हां	पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में प्रतिषेध ।
28.	रेल, भूमिगत पाइपलाइनें और रज्जुमार्ग	हां	-	-	

(1) औद्योगिक इकाईयां:

किसी औद्योगिक यूनिट के किसी नए स्थापन को पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(2) गैर नगरपालिका क्षेत्रों में निम्नलिखित को भी अनुज्ञात किया जाएगा :

लघु कृषि आधारित उद्योगों से संबंधित संरचनाएं, स्थानीय ग्राम्य अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से संबंधित क्रियाकलाप और स्थानीय कृषि आधारित उत्पादों के प्रसंस्करण या भंडारण को गैर कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के हस्तांतरण के लिए राजस्व प्राधिकरणों से अभिप्राप्त की जाने वाली अनुज्ञा के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(3) उत्खनन और खनन :-

पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में वाणिज्यिक उत्खनन और खनन क्रियाकलापों पर पाबंदी होगी और कोई नया खनन पट्टा अनुदत्त नहीं किया जाएगा ।

(4) वृक्ष : वन, सरकारी, राजस्व या निजी भूमि पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी । वृक्षों की कटाई कर्नाटक वन अधिनियम, 1963 और कर्नाटक वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अनुसार विनियमित की जाएगी ।

(5) पर्यटन : पर्यटन क्रियाकलाप, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के परामर्श से और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित जो जोनल मास्टर प्लान का एक भाग भी होगा, राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए, तैयार किए जाने वाले, पर्यटन मास्टर प्लान के अनुसार अनुज्ञात किए जाएंगे ।

(6) प्लास्टिक का उपयोग :

पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के भीतर प्लास्टिक, लैमिनेट और टेद्रा-पेकों का उपयोग, इस अधिसूचना में उल्लिखित क्रियाकलापों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

(7) राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन वन क्षेत्र :

कोई गैर वानिकी क्रियाकलाप, पर्यावरण और वन मंत्रालय (वन्य जीव प्रभाग), नई दिल्ली द्वारा जारी “वन्य जीव आवासों में गैर वानिकी क्रियाकलापों को करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत”, फाइल सं. 6-10/2011 डब्ल्यू एल तारीख 15-03-2011 के अनुसार विनियमित किए जाएंगे ।

(8) बहिःस्त्रावों का निस्सारण:

(क) किसी अनुपचारित बहिःस्त्राव के निस्सारण को पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के भीतर प्रतिषेध किया गया है ।

(ख) ऐसे किसी बहिःस्त्राव का, जो उपचारित या अनुपचारित हो, पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के भीतर किसी जलाशय या जल स्रोत में निस्सारण किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(9) ठोस अपशिष्ट:

(क) स्थानीय प्राधिकारी, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ।

(ख) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जा सकेगा और अकार्बनिक सामग्री का, पर्यावरणीय रूप से स्वीकृत अवस्थितियों में व्ययन किया जा सकेगा ।

(ग) ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना में “ठोस अपशिष्टों” में घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा बागान अपशिष्ट सम्मिलित होंगे ।

(10) प्राकृतिक झरने: (क) सभी प्राकृतिक झरनों के जलग्रहण-क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण तथा उनके नवीकरण के लिए, जो अपने प्राकृतिक स्वरूप से सूख चुके हैं, योजनाएं, जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित की जाएंगी ।

(ख) इन क्षेत्रों में या इनके समीप विकास क्रियाकलापों पर पाबंदी लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(11) जागृति : राज्य पर्यावरण और वन विभाग, नियमित रूप से पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में आने वाले प्रत्येक गांव में राष्ट्रीय उद्यान और व्याघ्र रिजर्व तथा पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के महत्व तथा उपयोगिता को दर्शित करते हुए प्रकृति शिक्षा और पर्यावरण जागृति अभियान चलाएगा ।

4. मानीटरी समिति-

(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के अनुपालन को मानीटर करने के लिए बांदीपुर पारिस्थितिक संवेदनशील जोन मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है ।

(2) उपरोक्त उप पैरा (1) में निर्दिष्ट मानीटरी समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(i) प्रादेशिक आयुक्त, मैसूर — अध्यक्ष ;

(ii) कर्नाटक सरकार के पर्यावरण विभाग का एक प्रतिनिधि —सदस्य ;

(iii) कर्नाटक सरकार के शहरी विकास विभाग का एक प्रतिनिधि —सदस्य ;

(iv) प्राकृतिक संरक्षण (धरोहर संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए — सदस्य ;

- (v) प्रादेशिक अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूर — सदस्य ;
- (vi) कर्नाटक राज्य की ख्याति प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - सदस्य
- (vii) उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, चामराजानगर — सदस्य ;
- (viii) भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का प्रतिनिधि — सदस्य ;
- (ix) वन उपसंरक्षक, परियोजना व्याघ्र खंड, बांदीपुर — सदस्य सचिव ।
- (3) मानीटरी समिति की शक्तियां और कृत्य, इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्बंधित होंगे ।
- (4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनमें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, के उपबंधों के अधीन पूर्व अनुज्ञा अपेक्षित है, मानीटरी समिति, ऐसे सभी मामलों को केंद्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व अनापत्तियों के लिए निर्देशित करेगी ।
- (5) मानीटरी समिति, मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर आश्रित रहते हुए उसके निष्कर्षों में सहायता करने के लिए संबद्ध विभागों या संगमों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी ।
- (6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन न करने के लिए परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।
- (7) मानीटरी समिति, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक अपने क्रियाकलापों की अपनी वार्षिक, की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय, समय-समय पर, मानीटरी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को निदेश देगा ।

उपाबंध-क

सीमाओं का विवरण

उपरोक्त वन क्षेत्रों के लिए सीमा विवरण, संबंधित वनों की सरकारी अधिसूचनाओं में यथा वर्णित है ।

उत्तरी: रेखा, बिदरहाली पंचायत, एच.डी. कोटे तालुक, मैसूर जिले के गांव कारावाड़ी के उत्तरी-पश्चिमी कोने से आरंभ होती है और उत्तरी सीमा के साथ होती हुई सिंगपटना, किथूर और कारावाड़ी के ट्राइजंक्शन बिंदु तक पहुंचती है ; फिर यह रेखा, किथूर होते हुए गुजरती है और किथूर, उडयामबाल, नादिनाथपुरा और सागारे के ट्राइजंक्शन बिंदु को छूती है ; फिर रेखा, नंदीनाथपुरा की दक्षिणी सीमा के साथ गुजरती है और नंदीनाथपुरा के दक्षिणी समुद्री कोने को छूती है; फिर यह रेखा सागारे गांव से होती हुई गुजरती है और हेग्गानूर के अंतिम पश्चिमी ट्राइजंक्शन बिंदु पर मिलती है ; फिर रेखा दक्षिण की ओर समस्त पश्चिमी सीमा से गुजरती है और हेग्गानूर, सागारे, तेलगुमाशाली के ट्राइजंक्शन बिंदु को छूती है; फिर रेखा, तेलगुमाशाली की समस्त उत्तरी सीमा के साथ गुजरती है और तेलगुमाशाली, हेग्गानूर और देवालपुरा के ट्राइजंक्शन बिंदु पर मिलती है; फिर रेखा, देवालपुरा की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तरी दिशा से गुजरती है और हेग्गानूर, मल्लाराजापुरा और देवालपुरा के ट्राइजंक्शन बंद को छूती है; फिर रेखा, देवालपुरा की निरंतर उत्तरी सीमा से गुजरती है और हुल्लेमाला, मल्लाराजापुरा और देवालपुरा के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है ; फिर रेखा, उत्तरी पश्चिमी दिशा में हुल्लेमाला की निरंतर पश्चिमी सीमा के साथ गुजरती है और माशाली, मल्लाराजापुरा और हुल्लेमाला के ट्राइजंक्शन बंद को छूती है; फिर रेखा, हुल्लेमाला की उत्तरी सीमा से गुजरती है और हुल्लेमाला के उत्तरी पूर्वी कोने को छूती है ; फिर रेखा माशाली गांव से होते हुए और बेदालापुरा की पश्चिमी सीमा पर बेदालापुरा के एसवाई संख्या 20,19 और 11 के ट्राइजंक्शन बिंदु को छूती है ; फिर रेखा, सीधे बेदालापुरा जाती है और हालेयूर, माशाली और बेदालापुरा के ट्राइजंक्शन को छूती है; फिर रेखा, हालेयूर से गुजरती है और नरसीपुरा गांव, हालेयूर गांव और कोथेगाला गांव के ट्राइजंक्शन बंध पर बिंदु को छूती है; फिर रेखा कोथेगाला की पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं से गुजरती है और कोथेगाला और पूराडकट्टे, चिक्कादेवमन्नाबेटा, छमलपुरा और हालसुर के उत्तरी पूर्वी अंतिम कोने पर ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा, हालसुर की समस्त उत्तरी सीमा के साथ दक्षिण पूर्वी दिशा में जाती है और हालसुर के उत्तरी पूर्वी अंतिम कोने को छूती है और फिर रेखा दक्षिणी दिशा में हालसुर की पूर्वी सीमा के साथ जाती है और छमलपुरा, हालसुर और जटागथिपुरा और मुल्लूर के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा, मुल्लूर की उत्तरी सीमा के साथ जाती है और छमलपुरा, मुल्लूर और बेन्नेगिरी के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा मुल्लूर की पूर्वी सीमा और बेन्नेगिरी तथा चन्नागोडानहाली की निरंतर पश्चिमी सीमा के साथ जाती है और मैसूर डिस्ट्रिक्ट के चन्नागोडानहाली, एस डी कोटे तालुक के मुल्लूर और नन्जनगुड तालुक के हेदियाला के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है । फिर रेखा हेदियाला और मुल्लूर की समान सीमा के साथ जाती है और हंसूर - बेगूर राजमार्ग सड़क को छूती है; फिर रेखा हेदियाला, मदुविनाहाली, अमकहाली और होसावीडु गांव से होती हुई उपरोक्त पार्श्व सड़क के दाईं ओर जाती है और देवारायासेट्टीपुरा की पश्चिमी सीमा को छूती है; फिर देवारायासेट्टीपुरा और कल्लाहाली की निरंतर पश्चिमी सीमा के साथ जाती है तथा तेलाना, हादया और चन्नापटना के ट्राइजंक्शन बिंदु को छूती है ; फिर रेखा, चन्नापटना की दक्षिणी सीमा के साथ जाती है और कल्लाहाली, चन्नापटना और केल्लापुरा के ट्राइजंक्शन बिंदु को छूती है; रेखा, गंडलूपेट तालुक के

केल्लापुरा, जिला चामराजनअगारा जिला की पश्चिमी और उत्तरी सीमा के साथ जाती है तथा चन्नापटना, मल्लाहाली और केल्लुपुरा के ट्राइजंक्शन बिंदु को छूती है ; फिर रेखा उत्तरी दिशा में मल्लाहाली और कालादेवनहाली की पश्चिमी सीमा के साथ जाती है और हूरा, कंथीरायनपुराडकावल और कालादेवनहाली के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा, कालादेवनहाली की उत्तरी सीमा के साथ जाती है और होसापुरा, दयावेगोडनपुरा, कंथारायनपुराडकावल और कालादेवनहाली के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा, होसापुरा की उत्तरी सीमा के साथ जाती है और होसापुरा, दयावेगोडनपुरा और यादावनहाली के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा, दक्षिणी दिशा में दयावेगोडनपुरा की दक्षिणी सीमा के साथ उसी दिशा में जाती है और दयावेगोडनपुरा, माकनपुरा, नंजनगुड तालुक और गुंडलूपेट तालुक के यादावनहाली के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा, यादावनहाली की उत्तरी सीमा के साथ जाती है और गुंडलूपेट तालुक के यादावनहाली और नंजनगुड तालुक के कृष्णनपुरा तथा गुंडलूपेट तालुक के होरियाला के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है ; फिर रेखा, यादावनहाली की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिणी दिशा में जाती है और होरियाला, यादावनहाली और गुंडलूपेट तालुक के कोटेकेरे गांव के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा कोटेकेरे के एसवाई संख्या 20 के उत्तरी पश्चिमी कोने पर उसके पहुंचने तक यादावनहाली की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिमी दिशा में जाती है; फिर रेखा कोटेकेरे की पश्चिमी सीमा के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाती है और कोटेकेरे के एसवाई संख्या 314 के दक्षिणी पश्चिमी कोने और राज्य राजमार्ग सड़क को छूती है ; फिर रेखा दक्षिणी पश्चिमी दिशा में कोटेकेरे गांव से होती हुई गुजरती है और कोटेकेरे, बैटेडमडहाली और मनचाली के ट्राइजंक्शन बंध पर पहुंचती है; फिर रेखा, मनचाली, बेनागावाड़ी, सवकनहाली और हासागुली के ट्राइजंक्शन बंध को छूने तक मनचाहाली की पूर्वी सीमा के साथ जाती है; फिर रेखा मनचाली की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाती है और सवकाराहाली, बेनागावाड़ी और मनचाली के ट्राइजंक्शन बिंदु पर मिलती है; फिर रेखा, सवकनहाली की पूर्वी सीमा के साथ जाती है और देवालपुरा, बारगी सवकनहाली और बेनागावाड़ी के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा, नैनीकेटे व्याघ्र रिजर्व की सीमा पर पहुंचने तक बारगी गांव की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिणी दिशा में जाती है; फिर रेखा, नैनीकेटे व्याघ्र रिजर्व की उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी सीमा के साथ जाती है और बारगी गांव की पूर्वी सीमा को छूती है, फिर रेखा, बारगी गांव की पूर्वी सीमा के साथ जाती है और बारगी, मूकाहाली और मासाहाली के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है ; फिर रेखा, मासाहाली, वीरामाडी और कन्नागाला के ट्राइजंक्शन बंध पर उसके पहुंचने तक मासाहाली की पूर्वी सीमा के साथ जाती है; रेखा वीरामबाडी की पूर्वी सीमा के साथ जाती है और कन्नेगाला, वीरामबाडी और लक्कीपुरा के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है ; फिर रेखा, कन्नागाला गांव से होती हुई गुजरती है और कन्नागाला, कल्लीपुरा तथा होनेगोडनहाली गांवों के ट्राइजंक्शन बंध पर मिलती है; फिर रेखा, कल्लीपुरा की उत्तरी और पूर्वी सीमा के साथ जाती है और हंगाला, देवराहाली और हंगालाहोसाली के ट्राइजंक्शन बंध पर मिलती है ; फिर रेखा, देवराहाली की दक्षिणी और पूर्वी सीमा पर जाती है, देवराहाली, पुथनपुरा और हंगाला के ट्राइजंक्शन बंध पर मिलती है; फिर रेखा, हंगाला की उत्तरी सीमा पर पूर्वी और दक्षिणी दिशा में जाती है तथा हंगाला पुथनपुरा और हंगालापुरा के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा, दक्षिणी दिशा में हंगाला और सिद्धनपुरा की पूर्वी सीमा तक जाती है और पासेनापुरा, कालेगोदानाहाली और सिद्धनपुरा के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर


रेखा, कालीगोदानाहाली की उत्तरी सीमा पर पूर्व दिशा की ओर जाती है और पासेनापुरा, कालीगोदानाहाली और सिद्धपुरा के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा, सिद्धपुरा की पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर जाती है और सिद्धपुरा के उत्तरी पूर्वी कोने तथा शिवपुरा की एस वाइ संख्या 69 के उत्तरी पश्चिमी कोने के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा, एक सीधी रेखा में शिवपुरा होती हुई गुजरती है और हुल्लेपुरा के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है ; फिर रेखा, हुंडीपुरा की उत्तरी सीमा को जाती है और हुल्लेपुरा बेलावाडी और हुंडीपुरा के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा, दक्षिणी दिशा में हुंडीपुरा की पूर्वी सीमा को जाती है और हुल्लेपुरा, बेलावाडी और हुंडीपुरा तथा केब्बेपुरा के ट्राइजंक्शन बंध पर मिलती है; फिर रेखा केब्बेपुरा की उत्तरी सीमा पर जाती है और केब्बेपुरा के उत्तरी पूर्वी कोने को छूती है ; और फिर रेखा, बेलावाडी के एसवाइ संख्या 35 और 36 की उत्तरी सीमा पर गांव बेलावाडी से होकर गुजरती है तथा सेट्टाहाली की पश्चिमी सीमा को छूती है ; और फिर रेखा, सेट्टाहाली की पश्चिमी तथा उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है और बोम्मालापुरा, सेट्टाहाली और वाचाहाली के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा, सेट्टाहाली की उत्तरी सीमा पर जारी रहती है और वाचाहाली की उत्तरी सीमा में पूर्वी दिशा में जाती है और मालापुरा, वाचाहाली तथा अंकाहाली के ट्राइजंक्शन बंध पर पहुंचती है; फिर रेखा, उत्तरी दिशा में जाती है और अंकाहाली, काडासोमे और येरीयुर के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है; फिर रेखा, येरीयुर की निरंतर सीमा के साथ पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी दिशा में जाती है तथा येरीयुर, हेग्गावाडी और दारिबेगुर के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है ; फिर रेखा, हेग्गावाडी के एस वाई संख्या 256 के उत्तरी पश्चिमी कोने पर उसके पहुंचने तक हेग्गावाडी की पश्चिमी सीमा पर दक्षिण की ओर जाती है और फिर रेखा हेग्गावाडी गांव से होकर गुजरती है और हेग्गावाडी की एस वाई संख्या 362 के उत्तरी पूर्वी कोने को छूती है; फिर रेखा, उत्तरी पूर्वी दिशा में कुंडाकरे की उत्तरी सीमा के साथ जाती है और हेग्गावाडी, कुंडाकरे और चिराकनहाली के ट्राइजंक्शन बंध को छूती है ; फिर रेखा, चिराकनहाली की पश्चिमी सीमा की उत्तर पश्चिमी दिशा में जाती है और वाडेगेरे, चिराकनहाली और हेग्गावाडी के ट्राइजंक्शन बंध पर पहुंचती है; फिर रेखा, वाडागेरे, चिराकनहाली और बोम्मनहाली के ट्राइजंक्शन बंध पर पहुंचती है; फिर रेखा, चिराकनहाली और कादाबुर की उत्तरी सीमा के साथ तिरछी चलती है और कादाबुर, रमैयानपुरा और केनगावाडी के ट्राइजंक्शन बंध पर पहुंचती है; फिर रेखा, रमैयानपुरा की पश्चिमी और उत्तरी सीमा के साथ तिरछी चलती है; फिर रेखा, यारागेनाहाली और शिंदानापुरा, युनागुंबा की उत्तरी सीमा पर तथा चामराजानगर तालुक और जिला के वदरहाली होती हुई तिरछी चलती है और तमिलनाडु राज्य की सीमा छूती है ।

पूर्व :- फिर रेखा, बद्दरहाली, येनागुंबा और चामराजानगर तालुक के येराहाली की पूर्वी सीमा के साथ तिरछी चलती है और मोयार राज्य वन और बांदीपुर व्याघ्र रिजर्व की भी उत्तरी पूर्वी सीमा को छूती है ।

दक्षिण और पश्चिम :- फिर रेखा, बांदीपुर व्याघ्र रिजर्व की समस्त उत्तरी सीमा के साथ तिरछी चलती है; फिर यह काबिनी पृष्ठ जल के एचएफएल को छूती है; फिर काबिनी पृष्ठ जल एचएफएल निरंतर सीमाओं के साथ यह आरंभ बिंदु पर पहुंचती है ।

उपाबंध ख

बांदीपुर व्याघ्र रिजर्व के पारिस्थितिक संवेदनशील जोन को दर्शाने वाला नक्शा



बाँदीपुर व्याघ्र रिजर्व सीमा पर मुख्य अवस्थितियाँ (वैश्विक स्थिति प्रणाली बिन्दु)

मानचित्र पर अवस्थिति	अक्षांश	देशांतर
1	11.91586	76.20729
2	11.90776	76.25246
3	11.90374	76.32484
4	11.91253	76.35504
5	11.88481	76.33873
6	11.8503	76.35967
7	11.906	76.4034
8	11.91741	76.38238
9	11.94617	76.42971
10	11.84972	76.40874
11	11.82037	76.44768
12	11.85244	76.4388
13	11.87759	76.47528
14	11.92288	76.51716
15	11.88829	76.53495
16	11.98143	76.576
17	11.91468	76.60467
18	11.7994	76.5681
19	11.7684	76.54764
20	11.72392	76.59144
21	11.71147	76.64309
22	11.70921	76.61139
23	11.67881	76.65092
24	11.65843	76.68234
25	11.63887	76.64278
26	11.61894	76.68327
27	11.6488	76.74978
28	11.6537	76.78992
29	11.68494	76.81461
30	11.68627	76.84332

पारिस्थितिक संवेदनशील जोन सीमा पर मुख्य अवस्थितियां (वैश्विक स्थिति प्रणाली बिन्दु)

मानचित्र पर अवस्थिति	अक्षांश	देशांतर
1	11.92792	76.23978
2	11.97662	76.28948
3	11.93454	76.35591
4	11.94198	76.41091
5	11.99229	76.4121
6	11.98408	76.48349
7	11.94455	76.47642
8	11.93654	76.5134
9	11.92827	76.54386
10	11.97602	76.53754
11	11.99473	76.55832
12	11.98291	76.58741
13	11.98872	76.61826
14	11.98105	76.63983
15	11.94088	76.63513
16	11.91403	76.61542
17	11.87678	76.62342
18	11.83197	76.66001
19	11.80773	76.59852
20	11.78252	76.59315
21	11.75892	76.59203
22	11.74237	76.63901
23	11.75607	76.65548
24	11.72256	76.66652
25	11.72351	76.70328
26	11.72482	76.75337
27	11.69454	76.78185
28	11.72098	76.8099
29	11.73334	76.84219
30	11.75398	76.8962

उपाबंध - ग

बांदीपुर पारिस्थितिक संवेदनशील जोन निम्नलिखित एक सौ तेइस (123) गांवों से मिलकर बनता है जो सभी गुडलुपेट, नंजनगुड, एच.डी कोटे, चामराजानगर ताल्लुकों के अधीन आते हैं । कुल भौगोलिक क्षेत्र 479.18 वर्ग कि.मी. है ।

मानचित्र पर पहचान संख्या	गांव	ताल्लुक
1.	गंडानूर	एचडी कोटे
2.	होसाहाली	एचडी कोटे
3.	बीरामवाली	एचडी कोटे
4.	एन. बेगूर	एचडी कोटे
5.	कनकनाहाली	एचडी कोटे
6.	जगनकोटे	एचडी कोटे
7.	कंचनहाली	एचडी कोटे
8.	हुरालीपुरा	एचडी कोटे
9.	कालासुरु	एचडी कोटे
10.	कारावाड़ी	एचडी कोटे
11.	किट्टूर	एचडी कोटे
12.	सागारे	एचडी कोटे
13.	तेलागुमासहाली	एचडी कोटे
14.	कटवाल	एचडी कोटे
15.	नेम्मनाहाली	एचडी कोटे
16.	बैंकवाड़ी	एचडी कोटे
17.	नादाहाड़ी	एचडी कोटे
18.	चिक्काबसूग	एचडी कोटे
19.	केब्बापुरा	एचडी कोटे
20.	मोलेयुरकावेल	एचडी कोटे
21.	मोलेयूर	एचडी कोटे
22.	हीरेहाली	एचडी कोटे
23.	मटकरै	एचडी कोटे
24.	सीगावाड़ी	एचडी कोटे
25.	वालहाली	एचडी कोटे

26	बेदाग	एचडी कोटे
27	आलागंची	एचडी कोटे
28	देवालपुरा	एचडी कोटे
29	हुल्लेमाला	एचडी कोटे
30	मासाहाली	एचडी कोटे
31	गेड्डालापुस	एचडी कोटे
32	हालेयुर	एचडी कोटे
33	कोटेगाला	एचडी कोटे
34	कोनानालाथुरु	एचडी कोटे
35	हेगुडिलु	एचडी कोटे
36	हलसुर	एचडी कोटे
37	जाटागाथीपुरा	एचडी कोटे
38	मुल्लूर	एचडी कोटे
39	बासावानाकोटे	एचडी कोटे
40	हसकुर	एचडी कोटे
41	नंदीनाथापुर	एचडी कोटे
42	लक्कासेज	एचडी कोटे
43	हरीयालपुरा	एचडी कोटे
44	सोबुगोवदानहाली	एचडी कोटे
45	लक्षमणपुरा	एचडी कोटे
46	बाइरापुरा	एचडी कोटे
47	मुथिगेचिक्काटालाट्ट	एचडी कोटे
48	कंदालिके	एचडी कोटे
49	होसकोटे	एचडी कोटे
50	काडू बेगुर	एचडी कोटे
51	हनसुर	एचडी कोटे
52	कुडुगी	एचडी कोटे
53	मुदुकनमुले	एचडी कोटे
54	सिद्धापुस	एचडी कोटे
55	करनागल	एचडी कोटे

56	आलानहाली	एचडी कोटे
57	वेदारहाली	एचडी कोटे
58	चिक्काबेरागी	एचडी कोटे
59	चिन्नागुडी कॉलोनी	एचडी कोटे
60	अरालाहाली	एचडी कोटे
61	हादानुर	एचडी कोटे
62	चिक्कालाहाली	एचडी कोटे
63	बंकानाहाली	नंजनगुड
64	हेदानुर वाडेनपुर	नंजनगुड
65	हेडियाला	नंजनगुड
66	मदुविनाहाली	नंजनगुड
67	अमाकाहाली	नंजनगुड
68	नागानापुर	नंजनगुड
69	होसाविट्टु	नंजनगुड
70	दावारायाशेट्टीपुर	नंजनगुड
71	कोट्टनहाली	नंजनगुड
72	भोगावालु वेदायानपुरा	नंजनगुड
73	कारालापुरा	नंजनगुड
74	कल्लाहाली	नंजनगुड
75	कैल्लुरपुर	नंजनगुड
76	मल्लाहाली	नंजनगुड
77	कलादेवानाहाली	नंजनगुड
78	होसापुरा	गुंडलुपेट
79	यादावेनाहाली	गुंडलुपेट
80	कोटेकरे	गुंडलुपेट
81	मंचाहाली	गुंडलुपेट
82	सेवाकानाहाली	गुंडलुपेट
83	आलातुर	गुंडलुपेट
84	देशीपुर	गुंडलुपेट
85	बासागी	गुंडलुपेट

86	होंगाहाली	गुंडलुपेट
87	मासाहाली	गुंडलुपेट
88	चन्नामालीपुर	गुंडलुपेट
89	मद्दुर	गुंडलुपेट
90	बच्चनहाली	गुंडलुपेट
91	बेरामबाड़ी	गुंडलुपेट
92	लक्कीपुर	गुंडलुपेट
93	कन्नागल	गुंडलुपेट
94	कुनाघाली	गुंडलुपेट
95	कल्लीपुरा	गुंडलुपेट
96	होंगालाहोसाहाली	गुंडलुपेट
97	हंगाला	गुंडलुपेट
98	सिद्देनापुरा	गुंडलुपेट
99	मगुविनाहाली	गुंडलुपेट
100	कालीगोदानाहाली	गुंडलुपेट
101	सिद्धापुरा	गुंडलुपेट
102	शिवपुरा	गुंडलुपेट
103	हुंडीपुरा	गुंडलुपेट
104	केव्हेपुरा	गुंडलुपेट
105	मंगला	गुंडलुपेट
106	कन्यानपुरा	गुंडलुपेट
107	जक्काहाली	गुंडलुपेट
108	लोक्करे	गुंडलुपेट
109	यालचेट्टी	गुंडलुपेट
110	बेलावाडिहुंडी	गुंडलुपेट
111	शेट्टीहाली	गुंडलुपेट
112	बाचाहाली	गुंडलुपेट
113	मालापुरा	गुंडलुपेट
114	येरीयुरु	गुंडलुपेट
115	हग्गावाडी	गुंडलुपेट

116	कुंडाकरे	गुंडलुपेट
117	चिरकानहाली	गुंडलुपेट
118	केदाबुर	गुंडलुपेट
119	रमैयानपुरा	गुंडलुपेट
120	येरागानाहाली	चामराजानगर
121	शिनदेहानापुरा	चामराजानगर
122	यानागुंबा	चामराजानगर
123	वेदाराहाली	चामराजानगर

इन गांवों में अभिप्राप्त भूमि के उपयोग का पैटर्न, मुख्यतया, मानव और मवेशियों के रहने की यूनिटें, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, सड़कें, खुली भूमि, जो मुख्यतया कृषि और उद्यान-कृषि फसलों के अधीन हैं, नूगू जलाशय और नूगू मिनि जल परियोजना हैं ।

उपाबंध - घ

अधिसूचित वन क्षेत्र-118.27 वर्ग कि.मी.

क्रम सं.	जिला	वन का नाम	प्रशासनिक नियंत्रण	क्षेत्र, वर्ग कि.मी. में	जीओ संख्या और तारीख
1.	चामराजानगर	भिमानाबिडु राज्य वन	गुंडलुपेट राज्यक्षेत्र उप प्रभाग	3.69	आर-6200-एफटी-100-06-7 तारीख 25-5-1908
2.	चामराजानगर	सोमनाथपुरा रिजर्व वन	गुंडलुपेट राज्यक्षेत्र उप प्रभाग	8.19	आर-6094-एफटी-123-08-3 तारीख 12-2-1909
3.	चामराजानगर	देशीपुरा राज्य वन	गुंडलुपेट राज्यक्षेत्र उप प्रभाग	3.90	आईसी-6306-एफटी-32-21-10 तारीख 17-04-1923
4.	चामराजानगर	हेग्गावाड़ी रिजर्व वन I	गुंडलुपेट राज्यक्षेत्र उप प्रभाग	11.60	आर - 7124-एफटी-65-12-9 तारीख 25-5-1913
5.	चामराजानगर	हेग्गावाड़ी रिजर्व वन II	गुंडलुपेट राज्यक्षेत्र उप प्रभाग	8.95	आर-5597-एफटी-65-125 तारीख 5-4-1913

6.	चामराजानगर	लोककेरे रिजर्व वन	गुंडलुपेट राज्यक्षेत्र उप प्रभाग	6.40	जी-13934-एफटी- 302-29-3 तारीख 29-5-1930
7.	मैसूर	नगानापुस ब्लॉक III रिजर्व वन	बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान	14.10	सं. आर -538-42- एफटी-68-07-4 तारीख 24-7-1908
8.	मैसूर	नागानापुस ब्लॉक III विस्तारित	बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान	8.06	प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र
9.	मैसूर	बोलेगावडानाकेट्टे व्याघ्र परिरक्षित राज्य वन	बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान	17.64	सं. एफईई-225/ एफडब्ल्यूएल2007 तारीख 12-10-2007
10.	मैसूर	नुगु वन्य जीव संचुरी	बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान	30.32	सं. एफ ई ई-58/ एफ डब्ल्यू एल 96 तारीख 9-3-1998
11.	चामराजानगर	कनियानपुरा ब्लॉक II विस्तारित (धारा 4 अधिसूचित क्षेत्र)	बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान	1.71	एफ ई ई 58 एफ ए एफ 2002 तारीख 14-11-2002
12.	चामराजानगर	कनियानपुरा ब्लॉक II विस्तारित (धारा 4 अधिसूचित क्षेत्र)	बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान	0.36	एफ ई ई 100 एफ ए एफ 2001 तारीख 14-11-2002
13.	मैसूर	बेगूर रिजर्व वन विस्तारित (धारा 4 अधिसूचित क्षेत्र)	बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान	1.17	एफ ई ई 97 एफ ए एफ 2001 तारीख 14-11-2002
14.	चामराजानगर	गोपालास्वामी बेट्टा	बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान	0.30	एनक्लोजर आफ कनियानपुरा ब्लॉक III (सं आर-6664- एफटी-90-12-7 तारीख 24-02-1914)
15.	मैसूर	कटवाल पुनर्वास क्षेत्र	बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान	1.88	सं. 83-एफटी-313- 26-5 तारीख 31- 10-1928 (आलागांची आरएफ का भाग)
योग				118.27	

उपाबंध - ड

कर्नाटक वन अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र

चामराजानगर जिले में गुंडलुपेट ताल्लुक के गांव बाचाहाली में और बांदीपुर व्याघ्र रिजर्व के पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में आने वाली भूमि के 748.59 हेक्टेयर (1849.0173 एकड़) का क्षेत्र, कर्नाटक वन अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अधीन अधिसूचित किया गया है।

जिला	ताल्लुक	होबली	गांव	सर्वेक्षण संख्या	कर्नाटक वन अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अधिसूचना संख्या	
चामराजानगर	गुंडलुपेट	मंगला	1	बाचाहाली	247	138.40	एफईई 25 एफएएफ 2006 तारीख 24-12-2008
					246	42.00	
				कुल	180.40		
			2	बाचाहाली	242	250.32	एफईई 58 एफएएफ 2006 तारीख 02-12-2008
					284	197.27	
				कुल	448.19		
			3	बाचाहाली	273	120.00	एफईई 24 एफएएफ 2006 तारीख 27-04-2011

इसके अतिरिक्त, चामराजानगर जिले के गुंडलुपेट ताल्लुक में अनेक गांवों तक विस्तारित राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन और बांदीपुर व्याघ्र रिजर्व के पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में आने वाली भूमि के 5599.05 एकड़ का क्षेत्र भी, कर्नाटक वन अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अधीन अधिसूचित भी किया गया है।

जिला	ताल्लुक	होबली	गांव	सर्वेक्षण संख्या	कुल क्षेत्र (एकड़-सेंट)	कर्नाटक वन अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अधिसूचना संख्या	
चामराजानगर	गुंडलुपेट	मंगला	I	मगुविनाहाली	65	274.00	67.01	एफईई 14 एफएएफ 2012(I) तारीख 02-02-2012
				मेलुकामानाहाली	66	287.04	287.04	
					67	70.19	70.19	
				सिद्धापुरा	53	460.62	77.50	
				शिवापुरा	19	416.37	170.50	
				हुंडीपुरा	55	232.65	93.00	
					56	424.50	338.67	
					57	479.47	459.57	
			कुल		1563.48			
			II	बेलावडी	20	279.75	75.95	एफईई 14 एफएएफ 2012(II) तारीख 02-02-2012
				शेट्टीहाली	68	426.85	173.60	
कुल		249.55						

				येलाचेट्टी	15	344.50	280.00	एफईई 14 एफएएफ 2012(III) तारीख 02- 02-2012
					19	124.37	75.17	
				लोककरे	17	602.57	241.19	
					18	640.40	181.16	
				कुल			777.52	
				जक्काहाली	33	243.15	128.65	
III				बाबाहाली	289	410.22	339.45	एफईई 14 एफएएफ 2012(V) तारीख 02- 02-2012
					241	419.90	118.35	
				कुल			457.80	

				बाबाहाली	145	246.57	91.44	एफईई 14 एफएएफ 2012(VI) तारीख 02- 02-2012				
					136	37.35	35.14					
					कुल				126.58			
					245	410.35	79.04		एफईई 14 एफएएफ 2012(VII) तारीख 02- 02-2012			
					272	187.95	77.49					
					कुल					156.53		
				IV				मंगला	25	368.20	150.00	एफईई 14 एफएएफ 2012(VIII) तारीख 02-02-2012
									20	298.55	68.00	एफईई 14 एफएएफ 2012(IX) तारीख 02- 02-2012
				V				केब्बेपुरा	173	624.42	373.17	एफईई 14 एफएएफ 2012(X) तारीख 02- 02-2012
									114	408.07	57.24	
									112	199.35	54.09	
									89	356.70	103.85	
									83	106.70	51.15	
				कुल			639.50					
				VI				कनियानपुरा	26	327.42	276.00	एफईई 14 एफएएफ 2012(XI) तारीख 02- 02-2012
									22	983.32	105.00	
									16	680.40	20.00	
									42	6.22	6.22	
				कुल			407.22					
				तेरानाकास्वी				VII	येरीयुर	92	563.35	349.14
हग्गावाडी	238	442.05	100.75									
	225	412.00	43.04									
कुल			492.93									
					हग्गावाडी	226	486.22	172.05	एफईई 14 एफएएफ 2012(XIII) तारीख 02-02-2012			
					कुडुकरे	124	475.62	209.24				
					कुल			381.29				
				कुल क्षेत्र	5599.05							

[फा. सं. कर्नाटक/1/2011-ईएसजेड]

डॉ. जी. वी. सुब्रह्मन्यम, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th October, 2012

S.O. 2364(E).— WHEREAS, the Bandipur National Park was formed by including most of the forest areas of the then Venugopala Wildlife Park and its *Sanctum Sanctorum* at Bandipur in the year 1974. In the year 2001, after going through the due process of law, the State Government vide its Notification No. FEE 211 FWL 98 Dated 27-06-2001 notified an area of 870.36 Sq.Km. as the National Park under the provisions of the sub-section (4) of section 35 of the Wild life (Protection) Act, 1972. This is one of the Nine Protected Areas brought under Project Tiger during 1973. Presently, a total area of 912.04 Sq.Km. including adjoining forest areas which are part of the buffer zone notified vide No.FEE 136 FWL, 2008, dated 31-08-2010 is under Bandipur Tiger Reserve and declared as Core/Critical Tiger habitat as per section 38 V of the Wild life (Protection) Act, 1972;

AND WHEREAS, the Bandipur Tiger Reserve is not only central and critical part of the 5500 square kilometers Nilgiri Biosphere Reserve but also forms an integral part of the Mysore Elephant Reserve under the Project Elephant. It supports a very high density of Wild Elephant Population with significantly higher number of Adult Tuskers. This area forms part of the designated elephant corridor namely Kaniyanpura Elephant Corridor which connects Sathyamangalam and Moyar Reserves. It is one of the high density Tiger landscapes recognized by the Global Tiger Initiative for conservation of Tiger and also is one of the richest Wild life areas noted for the intact assemblage of Seven large Ungulate species such as Chital, Sambar, Chowsingha, Gaur, Muntjac, Wild Pig and Elephant and has more than 250 species of birds;

AND WHEREAS, the area has a very high Faunal and Floral diversity. Bandipur Tiger Reserve alongwith Nagarhole, Mudumalai and Wyanad Protected Areas has the highest breeding population of Wild Tigers amongst the thirteen Tiger Range countries in the World. The forests of the Tiger Reserve are varied and rich. To the eastern most portion lie the scrub forests of Moyar. While the vegetation in the central portion of the Tiger Reserve viz., Kaniyanpur, Bandipur part of Beerambadi is dry deciduous, the vegetation in the western part of the reserve viz., Ainurmarigudi, Begur and Beerambadi is moist deciduous. The vegetation, therefore, changes from scrub type to moist deciduous type from east to west. These forests are classified as Scrub type (Group 5 – Sub-Group 5B- DSF-I-Dry deciduous scrub of Champion and Seth classification):

The vegetation comprises of species of *Shorea talura*, *Santalum album*(Sandal), *Terminalia chebula*, *Anogeissus latifolia*, *Azadirachta indica*, *Chloroxylon swietenia*, *Acacia leucophloea*, *Acacia catechu*, *Stereospermum chelonoides*, *Zizyphus sps.*, *Diospyros melnoxylon*, *Diospyros montana*, etc.

Lantana bushes often cover large areas as under growth and *Phoenix acaulis* at some places. *Cassia tora*, *Cassia auriculata*, *Desmodium* etc., also form the undergrowth. Bamboos are generally absent. *Acacia intsia* is the common climber. Grass is generally abundant but is stunted. Sandal profusely comes up in this type.

This Protected Area is catchment of important perennial rivers such as Kabini, Moyar, and Nugu. The area is completely free from human habitation requiring no resettlement of any human population; The Kabini Reservoir is providing a good aquatic habitat for fish and many species of birds and Otters. Small tanks and rivers provide habitat for fish, crab, tortoise and crocodile etc.

Porcupines, Mongoose, Scaly anteaters, Bandicoots, rats and snakes (Pythons) are as much sub terrestrial dwellers as they are terrestrial ones. Some of the animals use the subterranean food, Porcupines burrows and eat roots of *Cassia fistula*. Wild boars feed on the tuberous roots of *Costus sps.*, *Dioscorea* and *Vitis* climbers. Elephants are observed uprooting grass and feeding on the succulent root portions. The sloth bear feeds on roots and underground white ants. The same behavior is still seen. The Elephants feed on underwater weed found in the shallow backwater as well as by scraping the grass by kicking through the nails of their front feet in the vast foreshore area of Kabini reservoir during pinch period;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Bandipur National Park as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view, to protect, propagate or develop Wild life therein or its environment;

AND WHEREAS, a draft notification under sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 2154(E), dated the 21st September, 2011, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 21st September, 2011;

AND WHEREAS, all objections and suggestions received in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area upto 7.78 kilometer from the boundary of the protected area of Bandipur National Park and Tiger Reserve, enclosed within the boundary described below in the State of Karnataka as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Bandipur Eco-sensitive Zone):-

1. Boundaries of Eco-sensitive Zone

- (i) Bandipur National Park and Tiger Reserve situated in Mysore (Nanjangud and H.D.Kote taluks) and Chamarajanagar (Gundlupet taluk) districts of Karnataka State lies between the North Latitudes $11^{\circ} 35' 34''$ and $11^{\circ} 55' 02''$ and between the East Longitudes $76^{\circ} 12' 17''$ and $76^{\circ} 51' 32''$. The boundaries of the said Eco-sensitive Zone are given at **Annexure-A**. The map and boundary Global Positioning System points of the said Eco-sensitive Zone are given at **Annexure – B**.
- (ii) The Eco-sensitive zone covers a geographical area of 479.18 square kilometers which includes one hundred and twenty three villages given at **Annexure – C**. Further, the notified reserved forest area and the Section 4 area details are given at **Annexure – D & E**.
- (iii) The range of extent of the Eco-sensitive zone varies from 0-7.78 kilometers with a mean distance of 3.62 kilometers.

2. Zonal Master Plan for the Bandipur Eco-sensitive Zone. –

- (i) A Zonal Master Plan for the Bandipur Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as are specified under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), Panchayati Raj Act, 1993, the law relating to town and country planning for the time being in force in the State, the divisional working plans and the guidelines issued by Central Government, within a period of two years from the date of this notification and approved by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.
- (ii) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments of Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal, Revenue and the Karnataka State Pollution Control Board with a view to include therein various aspects of the environment and ecology.
- (iii) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (iv) The Zonal Master Plan would also ensure that no restrictions are imposed on the existing legal land use pattern, as well as the legal infrastructure and activities and same would continue as before. However, the Zonal Master Plan would also factor in improvement of all infrastructure/activities to be more efficient and eco-friendly.
- (v) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas such as parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (vi) No change of land use from green uses such as tea gardens, horticulture areas, agriculture, parks and others like places to non green uses shall be

- permitted in the Zonal Master Plan. However, to meet the residential needs of the local residents due to the natural growth of existing local population, strictly limited conversion of agricultural lands may be permitted, with the prior approval of the State Government.
- (vii) There shall ordinarily be no reduction in Forest Zone, Green Zones and Agricultural Area.
- (viii) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Ministry of Environment and Forests all new constructions and other developmental activities shall be referred to the Ministry of Environment and Forests by the Monitoring Committee as per sub-para (4) of paragraph 4 of the notification.
- (ix) The Monitoring Committee oversee the proper execution of the Zonal Master Plan by all Departments and stakeholders as well. This Committee would also look into the grievances of people and find amicable solution of such grievances.
- (x) Adequate publicity shall be given to the provisions of the Zonal Master Plan.

3. Prohibited, regulated and permitted activities in Eco-sensitive Zone -

All activities in the Bandipur Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) and the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986). Subject to the provisions of this paragraph, the activities in the Eco-sensitive Zone shall be regulated in accordance with tabular column given below.

Sl. No.	Activity	Prohibited	Regulated	Permitted	Remarks
1.	Commercial Mining	Yes	-	-	
2.	Commercial Quarrying	Yes	-	-	
3.	Stone Quarrying and Crushers	Yes	-	-	
4.	Establishment of Industries	Yes	-	-	
5.	Establishment of Commercial Hotels and Resorts	Yes	-	-	Prohibited in the eco-sensitive zone except the already existing establishments as on the date of draft notification. However, expansion of the existing

					commercial tourism establishments is to be regulated strictly in accordance with "The guidelines for taking non forestry activities in Wild life habitats" issued vide F.No. 6-10/2011 WL dated 15-03-2011 by the Ministry of Environment and Forests (WL Division), New Delhi.
6.	Setting of saw mills	Yes	-	-	
7.	Change in Land use pattern from Agriculture and Horticulture.	Yes	-	-	Prohibited in the eco-sensitive zone for commercial purposes such as resorts, establishment of industries, etc.
8.	Establishment of large-scale green houses and other commercial agricultural/horticultural ventures by companies/firms/corporate houses, etc are prohibited.	Yes	-	-	
9.	Commercial use of natural water resources including ground water	Yes	-	-	

	harvesting for commercial mineral water plants, aerated drinks bottling plants, etc.				
10.	Establishment of Major Hydroelectric Projects	Yes	-	-	
11.	Electric fencing, compound for commercial hotels/resorts, private homestays, private farms and large-scale commercial Agricultural and horticultural ventures by firms, corporate houses, companies.	-	Yes	-	
12.	Erection of Electrical cables for housing, agricultural and other self subsistence purposes.	-	-	Yes	Promote underground cabling
13.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities	-	-	Yes	However, excessive expansion of some of these activities should be regulated as per the master plan
14.	Rain Water harvesting	-	-	Yes	Should be actively promoted
15.	Organic Farming	-	-	Yes	Encouraged
16.	Widening of roads.	-	Yes	-	This should be done with proper EIA and mitigation measures

17.	Movement of Vehicular traffic during night	-	Yes	-	Restrictions on the two National Highways passing through Bandipur Tiger Reserve between 9.00 pm and 6.00 am will continue.
18.	Introduction of exotic species	Yes	-	-	
19.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporates, companies is prohibited.	Yes	-	-	Initiatives on a small-scale by the local farmers permitted.
20.	Use of Polythene bags by tourists, commercial hotels and resorts.	Yes	-	-	Prohibited in the eco-sensitive zone.
21.	Use of renewable Energy Sources.	-	-	Yes	Encouraged.
22.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park area by any Aircraft, Hot Air Balloons, Helicopter, Gliders, Parasailing etc.,	Yes	-	-	Prohibited in the eco-sensitive zone.
23.	Protection of hill slopes and river banks	-	-	Yes	Encouraged
24.	Discharge of effluents and solid waste including medical waste in natural water bodies or terrestrial area.	Yes	-	-	Prohibited in the eco-sensitive zone.
25.	Sign boards and hoardings within forest limits.	Yes	-	-	Permitted within village limits.

26.	Adoption of green technologies for all activities	-	-	Yes	Encouraged
27.	Erection of High Tension Power Transmission Lines upto 11 kv.	-	-	Yes	Prohibited in the eco-sensitive zone.
28.	Railways, Underground pipelines and Rope ways	Yes	-	-	

(1) Industrial Units:

No new establishment of any industrial unit shall be permitted in the eco-sensitive zone.

(2) In the non municipal areas, the following shall also be permitted:

Structures connected with small agro-based industries, activities related to the needs of the local village economy and processing or storage of local agro-based products may be allowed subject to the permission to be obtained from the revenue authorities for alienation of land for non agricultural purposes.

(3) Quarrying and Mining:-

Commercial quarrying and mining activities shall be banned in the Eco-Sensitive zone and no fresh mining lease shall be granted.

(4) Trees: There shall be no felling of trees either on forest, Government, revenue or private lands, without the prior permission of the State Government. The felling of trees shall be regulated in accordance with the Karnataka Forest Act, 1963 and the Karnataka Preservation of Trees Act, 1976.

(5) Tourism: Tourism activities shall be allowed in accordance with the Tourism Master Plan, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development, to be prepared by the Department of Tourism of the State Government in consultation with the Ministry of Tourism, Government of India and approved by the Ministry of Environment and Forests which shall also form a part of the Zonal Master Plan.

(6) Use of plastics:

The use of plastics, laminates and tetra-packs within the Eco-sensitive zone shall be regulated as per the activities mentioned in this notification.

(7) Forest Areas under the control of Revenue Department:

Any non-forestry activities will be regulated in accordance with "The guidelines for taking non forestry activities in Wild life Habitats" issued vide F.No. 6-10/2011 WL dated 15-03-2011 by the Ministry of Environment and Forests (WL Division), New Delhi.

(8) Discharge of effluents:

- a) The discharge of any untreated effluent is prohibited within the Eco-Sensitive Zone.
- b) No effluent, either treated or untreated, shall be permitted to be discharged into any water body or water source within the Eco-sensitive zone.

(9) Solid Wastes:

- a) The local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.
- b) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed of at environmentally acceptable locations.
- c) No burning or incineration of solid wastes shall be permitted.
Explanation – in this notification, “Solid wastes” shall include domestic, industrial, commercial & garden wastes.

(10) Natural springs:

- a) The catchment area of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan.
- b) Strict guidelines shall be drawn up by the State Government to ban development activities at or near these areas.

(11) Awareness: The State Environment and Forests Department shall regularly carry out nature education and environmental awareness campaigns in each village falling in Eco-sensitive Zone, highlighting the importance and usefulness of the National Park and Tiger Reserve and Eco-sensitive Zone.

4. Monitoring Committee. –

(1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called as the Bandipur Eco-sensitive Zone Monitoring Committee to monitor the compliance of this notification.

(2) The Monitoring Committee referred to in sub-paragraph (1) above, shall consist of the following members, namely:-

- (i) Regional Commissioner, Mysore – Chairman
- (ii) representative of the Department of Environment, Government of Karnataka – Member;
- (iii) representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka – Member;
- (iv) representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India – Member;
- (v) the Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysore – Member;

- (vi) one expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India - Member.
 - (vii) Deputy Commissioner or his representative, Chamarajanagar – Member
 - (viii) representative of Ministry of Environment and Forests Government of India – Member
 - (ix) the Deputy Conservator of Forests, Project Tiger Division, Bandipur – Member Secretary.
- (3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification.
- (4) In case of activities requiring prior permission, under the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), the Monitoring Committee shall refer all such matters to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for prior clearances under the provisions of the said notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Chairman or the Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.
- (7) The Monitoring Committee shall submit its annual action taken report of its activities by the 31st March of every year to the Central Government in Ministry of Environment and Forests.
- (8) The Central Government in Ministry of Environment and Forests shall give directions, from time to time, to the Monitoring Committee for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

ANNEXURE-A**BOUNDARY DESCRIPTION**

Boundary Description for the above forest areas is as described in the Govt. Notifications of respective forests.

North:- The line starts from North West corner of Karavadi Village of Bidarahalli Panchayath, H.D. Kote Taluk, Mysore District and runs along the Northern boundary till it reaches tri junction point of Singapatna, Kithur and Karawadi; then the line passes through Kithur and touches the tri junction point of Kithur, Uyyamball, Nadinathapura and Sagare; then the line runs along the southern boundary of Nandinathapura and touches south east corner of Nandinathapura; then the line passes through Sagare village and meets the tri junction point on the western most side of Hegganur; then the line passes all along the western boundary towards south and touches the tri junction point of Hegganur, Sagare and Telagumasahally; then the line passes all along the northern boundary of Telagumasahally and meets the tri junction point of Telagumasahally, Hegganur and Devalapura; then the line passes in Northern direction along the western boundary of Devalapura and touches tri junction bondh of Hegganur, Mallarajapura and Devalapura; then the line passes all along the Northern boundary of Devalapura and touches tri junction bondh of Hullemala, Mallarajapura and Devalapura; then the line passes all along western boundary of Hullemala in North west direction and touches tri junction bondh of Masahally, Mallarajapura and Hullemala; then the line passes on Northern boundary of Hullemala and touches the north east corner of Hullemala; then the line runs through Masahally village and touches a tri junction point of Sy. No. 20,19 and 11 of Beddalapura on the Western boundary of Beddalapura; then the line goes straight through Beddalapura and touches the tri junction bondh of Haleyr, Masahally and Beddalapura; then the line passes through Haleyr and touches a point on the tri junction bondh of Narasipura village, Haleyr village and Kothegala village; then the line passes all along the Western & Northern boundaries of Kothegala and touches the tri junction bondh on North east most corner of Kothegala and Puradakatte, Chikkadevammanabetta, Chamalapura and Halasur; then the line runs in south east direction all along the northern boundary of Halasur and touches the north east most corner of Halasur and then the line runs along the eastern boundary of Halasur in southern direction and touches the tri junction bondh of Chamalapura, Halasur and Jatagathipura and Mullur; then the line runs along northern boundary of Mullur and touches the tri junction bondh of Chamalapura, Mullur and Bennegere; then the line runs all along the Eastern boundary of Mullur and western boundary of Bennegere and Channagowdanahally and touches the tri junction bondh of Channagowdanahally, Mullur of H.D. Kote Taluk and Hediya of Nanjangud Taluk of Mysore district. Then the line runs along the common boundary of Hediya and Mullur and touches Hunsur-Begur Highway road; then the line runs all along the right side of the above side road passing through Hediya, Maduvinahally, Amakahally and Hosaveedu villages and touches the Western boundary of Devarayasettipura; then the line runs all along the western boundary of Devarayasettipura and Kallahally and touches the tri junction point of Telana, Hadya and Channapatna; then the line runs all along the southern boundary of Channapatna and touches the tri junction point of Kallahally, Channapatna and

Kellpura; then the line runs along the western and northern boundary of Kellepura of Gundlupet Taluk, Chamarajanagara District and touches the tri junction point of Channapatna, Mallahally and Kellupura; then the line runs along the western boundary of Mallahally and Kaladevanahally in Northern direction and touches the tri junction bondh of Hura, Kanthirayanapuradakaval and Kaladevanahally; then the line runs along the Northern boundary of Kaladevanahally and touches the tri junction bondh of Hosapura, Dyavegowdanapura, Kantharayanapuradakaval and Kaladevanahally; then the line runs all along the Northern boundary Hosapura and touches the tri junction bondh of Hosapura, Dyavegowdanapura and Yadavanahally; then the line runs in the same direction along the southern boundary of Dyavegowdanapura in southern direction and touches the tri junction bondh of Dyavegowdanapura Makaanapura Nanjangud Taluk and Yadavanahally of Gundlupet taluk; then the line runs all along the Northern boundary of Yadavanahally and touches the tri junction bondh of Yadavanahally of Gundlupet Taluk and Krishnanapura of Nanjangud Taluk and Horiyala of Gundlupet Taluk; then the line runs in southern direction along the eastern boundary of Yadavanahally and touches the tri junction bondh of Horeyala, Yadavanahally and Kotekere village of Gundlupet Taluk; then the line runs in western direction along the southern boundary of Yadavanahally till it reaches the North west corner of Sy No. 20 of Kotekere; then the line runs in south ward direction along the western boundary of Kotekere and touches the South west corner of Sy No. 314 of Kotekere and State Highway road; then the line passes through Kotekere village in South-west direction and reaches the tri junction bondh of Kotekere, Bettadamahally and Manchally; then the line runs along the Eastern boundary of Manchahally till it reaches the tri junction bondh of Manchally, Banagawadi, Savakanahally and Hasaguli; then the line runs in west ward direction along the southern boundary of Manchally and meets the tri junction point of Savakarahally, Banagavadi and Manchally; then the line runs along the eastern boundary of Savakanahally and touches the tri junction bondh of Devalapura, Bargi, Savakanahalli and Banagavadi; then the line runs in south ward direction along the eastern boundary of Bargi village till it reaches the boundary of Nenekatte Tiger Reserve; then the line runs along the North, East and South boundary of Nenekatte Tiger Reserve and touches the eastern boundary of Bargi village, then the line runs along the eastern boundary of Bargi village and touches the tri junction bondh of Bargi, Mookahally and Masahally; then the line runs along the eastern boundary of Masahally till it reach tri junction bondh of Masahally, Beerambadi and Kannagala; the line runs along the eastern boundary of Beerambady and touches the tri junction bondh of Kannagala Beerambady and Lakkipura; then the line passes through the Kannagala village and joins the tri junction bondh of Kannagala, Kallipura and Honnegowdanahally villages; then the line runs along the Northern & Eastern boundary of Kallipura and joins the tri junction bondh of Hangala, Devarahally and Hangalahosally; then the line runs on southern and eastern boundary of Devarahally to meet the tri junction bondh Devarahally, Puthanapura and Hangala; then the line runs in the eastern and southern direction on the northern boundary of Hangala and touches the tri junction bondh of Hangala, Puthanapura and Hangalapura; then the line runs on the eastern boundary of Hangala and Siddanapura in south ward direction and touches the tri junction bondh of Pasainapura, Kalegowdanahally and Siddanapura; then the line runs in the eastward direction on the Northern boundary of Kaligowdanahally and touches the tri junction bondh of Pasainapura, Kaligowdanahally and Siddapura; then the line runs on Western & Northern boundary of Siddapura and touches the tri-junction bondh of North east corner of Siddapura and North west corner of Sy. No. 69


of Shivapura; then the line passes through Shivapura in straight line and touches the trijunction bondh of Hullepura, Hundipura and Shivapura; then the line runs on the Northern boundary of Hundipura and touches the tri junctions bondh of Hullepura, Belavady and Hundipura: then the line runs on the eastern boundary of Hundipura in Southern direction and meet the tri junction bondh of Hullepura, Belavady and Hundipura and Kebbepura; then the line runs on the Northern boundary of Kebbepura and touches the north east corner Kebbepura and then the line passes through Belavady Village on the northern boundary of Sy. No. 35 & 36 of Belavady and touches the Western Boundary of Settahally; and then the line passes on the Western and Northern boundary Settahally and touches the tri junction bondh of Bommalapura Settahally and Bachahalli; then the line continues on the northern boundary of Settahally and Northern Boundary of Bachahally runs in Eastern direction and reaches the tri junction bondh of Malapura, Bachahally and Ankahally; then the line runs northward and touches the tri junction bondh of Ankahally, Kadasoge and Yariur; then the line runs in the east and south east direction all along the boundary of Yeriyur and touches the tri junction bondh of Yeriyur, Heggavadi and the Daribegur; then the line runs south ward on the western boundary of Heggavadi till it reaches the North West corner of Sy No. 256 of Heggavadi and then the line passes through Heggavadi village and touches the North east corner of Sy. No. 362 of Heggavadi; then the line runs along the Northern boundary of Kundakere in North East direction and touches the tri junction bondh of Heggavady, Kundakere and Chirakanahally; then the line traverse in north west direction of the western boundary of Chirakanahally and reaches the tri junction bondh of Vaddagere, Chirakanahally and Heggavadi; then the line runs in north east direction and reaches the tri junction bondh of Vaddagere, Chirakanahally and Bommanahally; then the line traverses along the northern boundary of Chirakanahally and Kadabur and reaches the tri junction bondh of Kadabur Ramaianappura and Kengavadi; then the line traverses along the western & northern boundary of Ramaianapura; then the line traverses through Yaraganahally and on the northern boundary of Shindanapura , Yonagumba and Vaddarahally of Chamarajanagara Taluk and District and touches Tamil Nadu State boundary.

East:- Then the line traverses along the eastern boundary of Vaddarahally, Yonagumba and Yerahally of Chamarajanagara Taluk and touches the north east boundary of Moyar State Forest and also the Bandipur Tiger Reserve.

South & West:- Then the line traverses all along the Northern boundary of the Bandipur Tiger Reserve; then it touches the HFL of Kabini Back water; then all along the Kabini back water HFL Limits it reaches the starting point.

ANNEXURE B

Map Showing the Eco-Sensitive Zone of Bandipur Tiger Reserve



**Key locations (Global Positioning System Points) on the
Bandipur Tiger Reserve boundary**

Location on the map	Latitude	Longitude
1	11.91586	76.20729
2	11.90776	76.25246
3	11.90374	76.32484
4	11.91253	76.35504
5	11.88481	76.33873
6	11.8503	76.35967
7	11.906	76.4034
8	11.91741	76.38238
9	11.94617	76.42971
10	11.84972	76.40874
11	11.82037	76.44768
12	11.85244	76.4388
13	11.87759	76.47528
14	11.92288	76.51716
15	11.88829	76.53495
16	11.98143	76.576
17	11.91468	76.60467
18	11.7994	76.5681
19	11.7684	76.54764
20	11.72392	76.59144
21	11.71147	76.64309
22	11.70921	76.61139
23	11.67881	76.65092
24	11.65843	76.68234
25	11.63887	76.64278
26	11.61894	76.68327
27	11.6488	76.74978
28	11.6537	76.78992
29	11.68494	76.81461
30	11.68627	76.84332

Key locations (Global Positioning System Points) on the Eco-sensitive Zone boundary

Location on the map	Latitude	Longitude
1	11.92792	76.23978
2	11.97662	76.28948
3	11.93454	76.35591
4	11.94198	76.41091
5	11.99229	76.4121
6	11.98408	76.48349
7	11.94455	76.47642
8	11.93654	76.5134
9	11.92827	76.54386
10	11.97602	76.53754
11	11.99473	76.55832
12	11.98291	76.58741
13	11.98872	76.61826
14	11.98105	76.63983
15	11.94088	76.63513
16	11.91403	76.61542
17	11.87678	76.62342
18	11.83197	76.66001
19	11.80773	76.59852
20	11.78252	76.59315
21	11.75892	76.59203
22	11.74237	76.63901
23	11.75607	76.65548
24	11.72256	76.66652
25	11.72351	76.70328
26	11.72482	76.75337
27	11.69454	76.78185
28	11.72098	76.8099
29	11.73334	76.84219
30	11.75398	76.8962

ANNEXURE C

The Bandipur Eco-sensitive Zone consists of the following one hundred and twenty three (123) villages all falling under Gundlupet, Nanjungud, H.D.Kote and Chamrajanagar Taluks. The total geographical area is 479.18 Sq.Km.

ID no. on the map	Village	Taluk
1	Gandattur	HD Kote
2	Hosahalli	HD Kote
3	Biramballi	HD Kote
4	N. Begur	HD Kote
5	Kanakanahalli	HD Kote
6	Jaganakote	HD Kote
7	Kenchanahalli	HD Kote
8	Huralipura	HD Kote
9	Kalasuru	HD Kote
10	Karawadi	HD Kote
11	Kittur	HD Kote
12	Sagare	HD Kote
13	Telagumasahalli	HD Kote
14	Katval	HD Kote
15	Nemmanahalli	HD Kote
16	Bankvadi	HD Kote
17	Nadahadi	HD Kote
18	Chikkabesuge	HD Kote
19	Kebbapura	HD Kote
20	Moleyurkaval	HD Kote
21	Moleyur	HD Kote
22	Hirehalli	HD Kote
23	Matkere	HD Kote
24	Seegavadi	HD Kote
25	Valhalli	HD Kote
26	Badag	HD Kote
27	Alaganchi	HD Kote
28	Devalapura	HD Kote
29	Hullemala	HD Kote
30	Masahalli	HD Kote
31	Geddalapura	HD Kote
32	Haleyur	HD Kote
33	Kotegala	HD Kote
34	Konanalathuru	HD Kote
35	Heggudilu	HD Kote
36	Halsur	HD Kote
37	Jatagathipura	HD Kote
38	Mullur	HD Kote
39	Basavanakote	HD Kote
40	Huskur	HD Kote
41	Nandinathapur	HD Kote

42	Lakkasage	HD Kote
43	Hariyalapura	HD Kote
44	Saubugowdanahalli	HD Kote
45	Lakshmanapura	HD Kote
46	Byrapura	HD Kote
47	Muthigechikkatalatu	HD Kote
48	Kandalike	HD Kote
49	Hoskote	HD Kote
50	Kaadu Begur	HD Kote
51	Hunsur	HD Kote
52	Kudugi	HD Kote
53	Mudukanmule	HD Kote
54	Siddapura	HD Kote
55	Kurnagal	HD Kote
56	Alanahalli	HD Kote
57	Vaderhalli	HD Kote
58	ChikkaBaragi	HD Kote
59	Chinnagundi Colony	HD Kote
60	Aralahalli	HD Kote
61	Hadanur	HD Kote
62	Chikkalahalli	HD Kote
63	Bankanahalli	Nanjangud
64	Hadanur Vadenpur	Nanjangud
65	Hediyala	Nanjangud
66	Maduvinahalli	Nanjangud
67	Amakahalli	Nanjangud
68	Naganapur	Nanjangud
69	Hosavidu	Nanjangud
70	Devarayashettipur	Nanjangud
71	Kottanahalli	Nanjangud
72	Bhogavalu Vadayanapura	Nanjangud
73	Karalapura	Nanjangud
74	Kallahalli	Nanjangud
75	Kellurpur	Nanjangud
76	Mallahalli	Nanjangud
77	Kaladevanahalli	Nanjangud
78	Hosapura	Gundlupet
79	Yadavanahalli	Gundlupet
80	Kotekere	Gundlupet
81	Manchahalli	Gundlupet
82	Savakanahalli	Gundlupet
83	Alatur	Gundlupet
84	Deshipur	Gundlupet
85	Baragi	Gundlupet

86	Hongahalli	Gundlupet
87	Masahalli	Gundlupet
88	Channamallipur	Gundlupet
89	Maddur	Gundlupet
90	Bachanahalli	Gundlupet
91	Berambadi	Gundlupet
92	Lakkipur	Gundlupet
93	Kannagal	Gundlupet
94	Kunaghalli	Gundlupet
95	Kallipura	Gundlupet
96	Hangalahosahalli	Gundlupet
97	Hangala	Gundlupet
98	Siddainapura	Gundlupet
99	Maguvinahalli	Gundlupet
100	Kaligaudanahalli	Gundlupet
101	Siddapura	Gundlupet
102	Shivapura	Gundlupet
103	Hundipura	Gundlupet
104	Kebbepura	Gundlupet
105	Mangala	Gundlupet
106	Kaniyanpur	Gundlupet
107	Jakkahalli	Gundlupet
108	Lokkere	Gundlupet
109	Yalchetti	Gundlupet
110	Belavadihundi	Gundlupet
111	Shettihalli	Gundlupet
112	Bachahalli	Gundlupet
113	Malapura	Gundlupet
114	Yariyuru	Gundlupet
115	Heggavadi	Gundlupet
116	Kundakere	Gundlupet
117	Chirakanahalli	Gundlupet
118	Kadabur	Gundlupet
119	Ramaiyanpura	Gundlupet
120	Yeraganahalli	Chamrajanagar
121	Shindaiahnapura	Chamrajanagar
122	Yanagumba	Chamrajanagar
123	Vaddarahalli	Chamrajanagar

The land use pattern obtaining in these villages are mainly Human and Cattle dwelling units, Schools, Health Centre, Roads, Areable lands mainly under Agricultural and Horticultural crops, Nugu Reservoir and the Nugu Mini Hydel Project.

ANNEXURE - D

NOTIFIED FOREST AREAS – 118.27 Sq. Kms.

Sl. No	District	Name of the Forest	Administrative control	Area in Sq. Kms.	GO No. & Date
1.	Chamarajanagar	Bhimanabidu State Forest	Gundlupet Territorial Sub Division	3.69	R-6200-FT-100-06-7 dated 25-3-1908
2.	Chamarajanagar	Somnathpura Reserve Forest	Gundlupet Territorial Sub Division	8.19	R-6094-FT-123-08-3 dated 12-2-1909
3.	Chamarajanagar	Deshipura State Forest	Gundlupet Territorial Sub Division	3.90	IC-6306-FT-32-21-10 dated 17-4-1923
4.	Chamarajanagar	Heggavadi Reserved Forest I	Gundlupet Territorial Sub Division	11.60	R-7124-FT-65-12-9 dated 25-5-1913
5.	Chamarajanagar	Heggavadi Reserved Forest II	Gundlupet Territorial Sub Division	8.95	R-5597-FT-65-125-dated 5-4-1913
6.	Chamarajanagar	Lokkere Reserve Forest	Gundlupet Territorial Sub Division	6.40	G-13934-FT-302-29-3-dated 29-5-1930
7.	Mysore	Naganapura Block III Reserve Forest	Bandipur National Park	14.10	No. R-538-42-FT-68-07-4 dt.24-7-1908
8.	Mysore	Naganapura Block III Extension	Bandipur National Park	8.06	Proposed National Park Area.
9.	Mysore	Bolegowdanakatte Tiger Preserve State Forest	Bandipur National Park	17.64	No.FEE225 FWL2007 dated 12-10-2007
10.	Mysore	Nugu Wildlife Sanctuary	Bandipur National Park	30.32	No. FEE58 FWL96 dated 9-3-1998
11.	Chamarajanagar	Kaniyanapura Block II Extension (Section 4 Notified Area)	Bandipur National Park	1.71	FEE 58 FAF 2002 dated 14-11-2002
12.	Chamarajanagar	Kaniyanapura Block II Extension (Section 4 Notified Area)	Bandipur National Park	0.36	FEE 100 FAF 2001 dated 14-11-2002

13.	Mysore	Begur Reserve Forest Extension (Section 4 Notified Area)	Bandipur National Park	1.17	FEE 97 FAF 2001 dated 14-11-2002
14.	Chamarajanagar	Gopalaswamy Betta	Bandipur National Park	0.30	Enclosure of Kaniyanapura Block III (No. R-6664-FT-90-12-7 Dated 24-02-1914)
15.	Mysore	Katwal Rehabilitation Area	Bandipur National Park	1.88	No. 5083-FT-313-26-5 Dated 31-10-1928 (Part of Alaganchi RF)
Total				118.27	

ANNEXURE - E

AREA NOTIFIED UNDER SECTION 4 OF KARNATAKA FOREST ACT, 1963:

An area of **748.59 Hectares** (1849.0173 Acres) of land in Bachahalli village of Gundlupet Taluk in Chamarajanagar district and falling in the Eco-sensitive Zone of Bandipur Tiger Reserve is notified under Section 4 of Karnataka Forest Act, 1963.

District	Taluk	Hobli	Village	Survey Number	Area Notified under Section 4 of Karnataka Forest Act, 1963 (Hectares)	Notification Number	
Chamarajanagar	Gundlupet	Mangala	1	Bachahalli	247	138.40	FEE 25 FAF 2006 Dated 24-12-2008
					246	42.00	
			Total		180.40		
			2	Bachahalli	242	250.32	FEE 58 FAF 2006 Dated 02-12-2008
					284	197.27	
			Total		448.19		
3	Bachahalli	273	120.00	FEE 24 FAF 2006 Dated 27-04-2011			

Further, an area of **5599.05 Acres** of land under the control of Revenue department spread over several villages in Gundlupet Taluk of Chamarajanagar

district and falling in the Eco-sensitive Zone of Bandipur Tiger Reserve is also notified under Section 4 of Karnataka Forest Act, 1963.

District	Taluk	Hobli	Village	Survey Number	Total Area (Acre-Cents)	Area Notified under Section 4 of Karnataka Forest Act, 1963 (Acre-Cents)	Notification Number			
Chamarajanagar	Gundlupet	Mangala	I	Maguvinahalli	65	274.00	67.01	FEE 14 FAF 2012 (I) Dated 02-02-2012		
				Melukamanahalli	66	287.04	287.04			
					67	70.19	70.19			
				Siddapura	53	460.62	77.50			
				Shivapura	19	416.37	170.50			
				Hundipura	55	232.65	93.00			
					56	424.50	338.67			
					57	479.47	459.57			
			Total						1563.48	
			II	Belavadi	20	279.75	75.95	FEE 14 FAF 2012 (II) Dated 02-02-2012		
				Shettihalli	68	426.85	173.60			
				Total					249.55	
				Yelachetti	15	344.50	280.00	FEE 14 FAF 2012 (III) Dated 02-02-2012		
					19	124.37	75.17			
				Lokkere	17	602.57	241.19			
					18	640.40	181.16			
				Total						777.52
			Jakkalli	33	243.15	128.65	FEE 14 FAF 2012 (IV) Dated 02-02-2012			
				Total						128.65
			III	Bachahalli	289	410.22	339.45	FEE 14 FAF 2012 (v) Dated 02-02-2012		
					241	419.90	118.35			
					Total				457.80	
					Total				457.80	
							Bachahalli	145	246.57	91.44
	136	37.35					35.14			
Total							126.58			
	245	410.35					79.04	FEE 14 FAF 2012 (vii) Dated 02-02-2012		
	272	187.95					77.49			
Total							156.53			
IV	Mangala	25				368.20	150.00	FEE 14 FAF 2012 (viii) Dated 02-02-2012		
		20				298.55	68.00	FEE 14 FAF 2012 (ix) Dated 02-02-2012		
V	Kebbepura	173				624.42	373.17	FEE 14 FAF 2012 (x) Dated 02-02-2012		
		114				408.07	57.24			
		112				199.35	54.09			
		89				356.70	103.85			
		83				106.70	51.15			
Total						639.50				

		Terakanambi	VI	Kaniyanapura	26	327.42	276.00	FEE 14 FAF 2012 (xi) Dated 02-02-2012	
					22	983.32	105.00		
					16	680.40	20.00		
					42	6.22	6.22		
					Total				407.22
			VII	Yariyur	92	563.35	349.14	FEE 14 FAF 2012 (xii) Dated 02-02-2012	
				Heggavadi	238	442.05	100.75		
					225	412.00	43.04		
				Total			492.93		
				Heggavadi	226	486.22	172.05		FEE 14 FAF 2012 (xiii) Dated 02-02-2012
				Kundukere	124	475.62	209.24		
			Total			381.29			
			Total Area						

[F. No. Karnataka/1/2011-ESZ]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'